प्रेस विज्ञप्ति
17.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलोर जोनल कार्यालय ने कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 300 करोड़ रुपये (लगभग) के बाजार मूल्य की 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं जो रियल एस्टेट कारोबारियों और एजेंटों के रूप में काम कर रहे हैं।

ईडी ने कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

आरोप है कि सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर एमयूडीए द्वारा अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंटा जमीन के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 जगहों का मुआवजा हासिल किया। भूमि मूल रूप से एमयूडीए द्वारा 3,24,700/- रुपये में अधिग्रहित की गई थी। पॉश इलाके में 14 साइटों के रूप में मुआवजा 56 करोड़ रुपये (लगभग) है। एमयूडीए के पूर्व आयुक्त डीबी नटेश की भूमिका श्रीमती बीएम पार्वती को मुआवजा स्थलों के अवैध आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सामने आई है।

जांच के दौरान की गई खोजों से पता चला कि श्रीमती बीएम पार्वती को आवंटित 14 साइटों के अलावा बड़ी संख्या में साइटों को एमयूडीए द्वारा रियल एस्टेट व्यवसायियों को मुआवजे के रूप में अवैध रूप से आवंटित किया गया है, जिन्होंने बदले में इन साइटों को भारी लाभ पर बेचा है और भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी प्राप्त की है। इस प्रकार सृजित लाभ को वैध स्त्रोतों से प्राप्त किया गया है और दर्शाया गया है ।

तलाशी से यह भी पता चला कि साइटें प्रभावशाली व्यक्तियों और रियल एस्टेट कारोबारियों के बेनामियों/डमी व्यक्तियों के नाम पर आवंटित की गई हैं। तत्कालीन एमयूडीए अध्यक्ष और एमयूडीए आयुक्त को अचल संपत्ति,एमयूडीए साइटों, नकद, आदि के रूप में अवैध रिश्वत के भुगतान के संबंध में आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए थे। इस प्रकार प्राप्त अवैध परितोषण को और अधिक वैध किया गया और वैध स्त्रोतों से प्राप्त के रूप में दर्शाया गया। यह भी पता चला है कि एमयूडीए के पूर्व आयुक्त जीटी दिनेश कुमार के रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति, लक्जरी वाहन आदि की खरीद के लिए एक सहकारी समिति के माध्यम से पैसा भेजा गया था।

आगे की जांच प्रगति पर है।